रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003

कंपनी सचिवालय प्रभाग

सं. सेक-**1/8(1)/2009/** दिनांक**: 22.1.2009**

ऋण नीति परिपत्र-सं. **001/2009**

विषय**:-** आवधिक ऋणों को उधार देने की दरें में परिवर्तन

संदर्भ सं. **1**. ऋण नीति परिपत्र सं. **014/2008** दिनांक **1** आत्तूबर , **2008**
2. ऋण नीति परिपत्र सं. **016/2008** , दिनांक **21** अत्तूबर ,**2008**

आरईसी के निदेशक मंडल की उप समिति ने 21 जनवरी, 2009 को आयोजित अपनी 18वीं बैठक (स्थगित) में आवधिक ऋणों संबंधी उधार देने की दरों में संलग्न अनुबंध में दिए गए विवरण अनुसार परिवर्तन की तुंत प्रभाव से अनुमति दी है। परिवर्तन ब्याज दरें **22** जनवरी, **2009** को या इसके बाद किए गए सभी संवितरणों पर लागू होंगी।

2. लघु अवधि ऋणों के लिए ब्याज दरें वही रहेंगी जैसी ऋण नीति परिपत्र सं. **016/2008** दिनांक **21** अत्तूबर, **2008** के द्वारा सूचित की गई हैं।
3. ऋणों/स्कीमों के अन्य नियम एवं शर्तें वही रहेंगी, जैसी पहले अधिसूचित की गई हैं।
4. आंचलिक प्रबंधक/मुख्य परियोजना प्रबंधक और मंजूरी पत्र जारी करने वाले कारपोरेट कार्यालय के अन्य अधिकारियों को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि लागू ब्याज दरें और अन्य नियम एवं शर्तें सभी संबंधितों को विधिवत परिचालित करें और मंजूरी पत्रों में ठीक से शामिल करें।

ह./

(बी.आर.रघुनंदन)
महाप्रबंधक **(**विधि**)** एवं कंपनी सचिव

संलग्नक**:** अनुबंध

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

अनुबंध

1.आवधिक ऋण

उधार देने की दरें 22.1.2009 से प्रभावी

(एलपीसी सं. 001/2009 दिनांक 22.1.2009)

क्रम सं.	स्कीमें	सुधारक राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता, केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ता, (चिन्हित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों एवं ट्रिप्पल ए कंपनियों के अलावा)				चिन्हित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों और सभी ट्रिप्पल ए कंपनियां				प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता ग्रेड 1 एवं IV				प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता ग्रेड V			
		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिसेट के साथ		10 वर्ष के बाद रिसेट के साथ	
		सीओडी पूर्व	सीओडी बाद	सीओडी पूर्व	सीओडी बाद	सीओडी पूर्व	सीओडी बाद	सीओडी पूर्व	सीओडी बाद	सीओडी पूर्व	सीओडी बाद	सीओडी पूर्व	सीओडी बाद	सीओडी पूर्व	सीओडी बाद	सीओडी पूर्व	सीओडी बाद
		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष		% प्रतिवर्ष	
ए	**आवधिक ऋण/स्कीमें**																
1)	परंपरागत उत्पादन-वृहत	12.50	12.25	12.75	12.50	12.25	12.00	12.50	12.25	12.75	12.50	13.00	12.75	13.50	13.25	13.75	13.50
2)	उत्पादन-अन्य(गैर परंपरागत को निकालकर)*	12.75	12.50	13.00	12.75	12.50	12.25	12.75	12.50	13.00	12.75	13.25	13.00	13.75	13.50	14.00	13.75
3)	आरएंडएम, ाारएंडयू,ट्रंसमिशन, वितरण और अन्य स्कीमें	12.75		13.00		12.50		12.75		13.00		13.25		13.75		14.00	
4)	कंप्यूटरीकरण	12.75				12.50											
बी	उपकरण विनिर्माताओं को ऋण																
1)	1 वर्ष तक	13.25				13.00				14.00				14.25			
2)	1 से अधिक 3 वर्षों तक	13.50				13.25				14.25				14.50			

II लघु अवधि ऋण

क्र.	उधारकर्ता की श्रेणी	एसटीएल के लिए 1 वर्ष तक ब्याज दर मासिक रिसेट के साथ (% प्रतिवर्ष)	एसटीएल के लिए 1 वर्ष अधिक 3वर्ष तक ब्याज दर मासिक रिसेट के साथ (% प्रतिवर्ष)
1.	**केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ता,/चिन्हित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम**	14.75	15.00
2.	**राज्य क्षेत्र के उधारकता-श्रेणी "ए+" एवं "ए"**	14.75	15.00
3.	**राज्य क्षेत्र के उधारकता-श्रेणी "बी" एवं प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता ("एएए")**	15.00	15.25
4.	**राज्य क्षेत्र के उधारकता-श्रेणी "०सी" एवं प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता "एएए" के अतिरिक्त**	राज्य क्षेत्र के श्रेणी 'ए' उधारकर्ताओं पर लागू दर की तुलना में 50 बीपीएस अधिक अर्थात 15.25	राज्य क्षेत्र के श्रेणी 'ए' उधारकर्ताओं पर लागू दर की तुलना में 50 बीपीएस अधिक अर्थात 15.50

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त दरें तिमाही बकाया आधार पर प्रभावी दरें हैं, एसटीएल में मासिक आधार को छोड़कर, जहां दरें मासिक बकाया आधार पर हैं।
2. चिन्हित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों में एनटीपीसी,एनएलसी,डीवीसी,एनएचपीसी,एनपीसीआईएल,पीजीसीआईएल,एसजेवीएनएल,टीएचडीसी अथवा निगम द्वारा समय समय पर चिन्हित कोई अन्य एनटिटि
3. कंप्यूटरीकरण के लिए ऊपर उल्लिखित दरें एएए प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं पर लागू नहीं हैं।
4. उपर्युक्त अनुसार संशोधित ब्याज दरें 22 जनवरी, 2009 को अथवा इसके बाद किए गए सभी संवितरणों पर लागू होगी।
5. उपर्युक्त ए(1) की वृहत उत्पादन परियोजनाओं के लिए परिभाषा वही होगी जैसी आरईसी के ऋण नीति परिपत्र दिनांक 14 जून, 2006 में बताई गई है, अर्थात राज्य/केंद्रीय क्षेत्र के उधारकर्ताओं के संबंध में मंजूर राशि रू. 700 एवं उससे अधिक तथा प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं के संबंध में मंजूर राशि रू. 500 एवं उससे अधिक
6. गैर परंपरागत उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में ब्याज दर वही रहेगी जो उपर्युक्त क्रमांक (1) पर परंपरागत उत्पादन - वृहत श्रेणी पर लागू है।
7. प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ताओं के संबंध में ग्रेड -I,II,III, IV एवं V जैसा ऊपर बताया गया है, का आधार आरईसी की आंतरिक संवर्गीकरण/ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार होगा

(shaded)	लागू नहीं